

समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया  
(जिला योजना कार्यालय)

—: आदेश :-

मुख्यमंत्री जिला विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित योजना के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, बेतिया द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है तथा इसका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, बेतिया को सौंपा जाता है। साथ ही योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप में स्तम्भ-6 में अंकित राशि विमुक्त किया जाता है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि (लाख में)	वर्तमान में विमुक्त राशि (प्रथम किस्त) लाख में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	बस स्टैण्ड बेतिया का उन्नयन एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	बेतिया शहरी क्षेत्र	50.000	50.000	32.500	छः माह
कुल योग :-			50.000	50.000	32.500	

(कुल बतीस लाख पचास हजार रुपये मात्र)

शर्त:-

- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल की भूमि सार्वजनिक है एवं विवादित नहीं है।
- योजना कार्य प्रारम्भ करने पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर "मुख्यमंत्री जिला विकास योजना, बेतिया", योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, संवेदक का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो।
- स्तम्भ-7 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन पी0डब्लू0डी0 कोड के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। नियमानुसार विक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीष में जमा करायेगें।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा।
- प्रत्येक माह में निश्चित रूप से वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला योजना कार्यालय, बेतिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया

ज्ञापांक : 191 / जि0यो0, बेतिया, दिनांक : 21.03.12

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया को प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश की प्रति को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : नाजीर, जिला योजना कार्यालय, बेतिया को निदेश है कि उक्त राशि का चेक तैयार कर हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित करें।

जिला पदाधिकारी,  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया  
(जिला योजना कार्यालय)

—: आदेश :-

मुख्यमंत्री जिला विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित योजना के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, बेतिया द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है तथा इसका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, बेतिया को सौंपा जाता है। साथ ही योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप में स्तम्भ-6 में अंकित राशि विमुक्त किया जाता है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि (लाख में)	वर्तमान में विमुक्त राशि (प्रथम किस्त)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर भवन (बहुउद्देशीय हाल) नरकटियागंज का निर्माण।	नरकटियागंज	40.457	40.457	26.250	छः माह
कुल योग :-			40.457	40.457	26.250	

कुल छब्बीस लाख पचीस हजार रुपये मात्र।

शर्तें:-

- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल की भूमि सार्वजनिक है एवं विवादित नहीं है।
- योजना कार्य प्रारम्भ करने पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी कराएंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर "मुख्यमंत्री जिला विकास योजना, बेतिया", योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, संवेदक का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो।
- स्तम्भ-7 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन पी0डब्लू0डी0 कोड के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। नियमानुसार विक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीष में जमा कराएंगे।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा।
- प्रत्येक माह में निश्चित रूप से वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला योजना कार्यालय, बेतिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया

ज्ञापक : 155 / जि0यो0, बेतिया, दिनांक : 20.3.17

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया को प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश की प्रति को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : नाजीर, जिला योजना कार्यालय, बेतिया को निदेश है कि उक्त राशि का चेक तैयार कर हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित करें।

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया